उत्तर प्रदेश शासन

गृह (पुलिस) अनुभाग-9

संख्या- ~~482~~ 708/छः-पु0-9-19-31(93)/2003

लखनऊः दिनांकः 6 ~~फरवरी~~ मार्च 2019

जनरल रूल्स (क्रिमिनल) 1977 के अध्याय-5 के नियम-38 के परिशिष्ट-झ के नियम-8(1), 8(2), 8(3बी), 8(7) में संशोधन व नियम-8(5) के निरसित करने संबंधी अधिसूचना संख्या-482/छः-पु0-9-31(93)/2003 दिनांक 13 फरवरी, 2019 की हिन्दी व अंग्रेजी प्रति संलग्न कर निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) प्रमुख सचिव, न्याय एवं अपर विधि परामर्शी, उ0प्र0 शासन।

(2) प्रमुख सचिव, विधायी एवं अपर विधि परामर्शी, उ0प्र0 शासन।

(3) रजिस्ट्रार जनरल, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद/लखनऊ।

(3) ज्वाइन्ट रजिस्ट्रार, (जे) (निरीक्षण) मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।

(4) पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ।

(5) महानिदेशक अभियोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

(6) प्रभारी, गृह नियंत्रण कक्ष को गृह विभाग की वेबसाइट (uphome.gov.in) पर निर्गमन हेतु।

(7) संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय ऐशबाग लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वे कृपया अधिसूचना को असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट भाग-4 खण्ड-ख में मुद्रित कराकर 30 प्रतियां शासन को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(8) गार्ड फाइल।

संलग्नकः यथोक्त।

आज्ञा से,

6/3/19

(भगवान स्वरूप)

सचिव। 6

E:\Data Police-9\lakshmikant mishra RO Draft 7921

UTTAR PRADESH SHASAN
Grih (Police) Anubhag- 9
No. 482/VI-P-9-19-31(93)/2003
Lucknow: Dated 13 February, 2019

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by Article 227 of the Constitution of India and section 477 of the Code of Criminal Procedure, 1973 read with Section 21 of the General Clauses Act, 1897 the High Court of Judicature at Allahabad, with the previous approval of the Government of Uttar Pradesh is pleased to make the following amendments in General Rules (Criminal), 1977.

1-Amendment in Rule 8 (1) of Appendix- I : The existing provisions of Rule 8 (1) of Appendix-1 of Chapter V of rule 38 of the rules shall be amended as below:-

Existing Rule	Amended Rule
8- (1) For the purpose of payment of travelling allowance and diet money criminal courts are authorised to classify complainants and witnesses, who are legally bound to attend such courts as follows: Class I- Persons of superior rank; Class II- Persons such as Zamindars, traders, pleaders, and those of corresponding rank; and Class III- persons belonging to the class of cultivators, labourers and menials.	8- (1) For the purpose of payment of travelling allowance and diet money criminal courts are authorised to classify complainants and witnesses, who are legally bound to attend such courts as follows: **Class I-** Government officials of Class-I rank/Medical practitioners, Experts in Ballistic & Forensic Science etc. **Class II-** All other Persons.

2- Amendment in table of Rule 8 (2) of Appendix- I: The existing Rule 8 (2) of Appendix-1 of Chapter V of rule 38 of the rules shall be amended as follows:-

Existing Rule				Amended Rule			
(2) The rates of travelling allowance and diet money for the three classes of witnesses shall be as shown in the table below:-				(2) The rates of travelling allowance and diet money for the two classes of witnesses shall be as shown in the table below:-			
Class	By rail	By road	Diet money per diem	Class	By rail	By road	Diet money per diem

06/3/19
(सभापति बिन्द)
अनुभाग अधिकारी,
म) अनुभाग-9
शासन।

I	One first class fare each way	Beyond diet money no travelling allowance is ordinarily admissible for journey by road, but in special circumstances the actual expenses incurred upto a maximum limit of fifty paise a mile in the case of first class witness and thirty senen paise a mile in other cases, may be allowed by the court.	Above second class rate upto a maximum limit of Rs. 4/- (four)	I	1st class/ IInd A.C. Rail fare each way.	The fare for the journey by road should not exceed the rail fare by the shortest route..	Rs. 100/- per day.
				II	Second class/ sleeper class rail fare each way.	The fare for the journey by road should not exceed the rail fare by the shortest route..	Rs. 50/- per day.
II	One second class fare each way	Ditto	Rs. 1.25 (rupee one and 25 paise).				
III	One third class fare each way	Ditto	Rs. 1 (rupee one).				
				Provided that the complainant/witness of class-I or class-II shall be allowed the payment of rail fare of the entitled class only if he has actually tavelled in entitled			

	class. If complainant/witness travels in a lower class, he shall be entitled to the actual fare of the class of travel. In cases of claims of road fare the complainant/witness of class-I shall be entitled only to one fare of A.C. Bus/deluxe bus operated by Uttar Pradesh State Road Transport Corporation each way if he has actually travelled in entitled class of bus. If complainant/witness travels in a lower class of bus, he shall be entitled to the actual fare. The complainant/witness of class-II shall be entitled to one fare of the ordinary bus operated by Uttar Pradesh State Road Transport Corporation each way.

3- **Amendment in Rule 8 (3) (b) of Appendix-I:** The Rule 8 (3) of Appendix-I of 38 in chapter- V of the rules shall be amended as follows:-

Existing Rule	Amended Rule
(3) (a) Diet money shall be paid for the days of actual detention as well as for the time occupied in the journeys to and from the court. The number of days which should be allowed for the journey to and from shall be determined by the officer ordering payment in each case. (b) In the case of witnesses summoned to give evidence at Naini Tal from Tarai, Bhabar and Kashipur parganas belonging to the Prudhan class, the rate of diet money shall be rupee one and thirty seven paise per diem and for those of the ordinary class rupee one per diem.	(3) Diet money shall be paid for the days of actual detention as well as for the time occupied in the journeys to and from the court. The number of days which should be allowed for the journey to and from shall be determined by the officer ordering payment in each case.

4-Amendment in Rule 8 (5) of Appendix- I: The Rule 8 (5) of Appendix- I of rule 38 in chapter- V of the rules shall be deleted.

5-Amendment in Rule 8 (7) of Appendix- I: Rule 8 (7) of Appendix- I of rule 38 in chapter- V of the rules shall be amended as follows:-

Existing Rule	Amended Rule
(7) Notwithstanding anything	(7) Notwithstanding anything contained in

contained in the foregoing rules a person in the service of the State summoned to give evidence in his official capacity shall draw his travelling allowance in the manner provided in rule 59 of the Financial handbook, Volume III, and shall be granted by the Court a certificate of attendance which shall be attached by him to the bill. No expenses shall be paid to such person by the court except when he is summoned to give evidence otherwise than in his offical capacity, when he will be entitled to the payment of expenses as in rule 1 to 3.	the foregoing rules a person in the service of the State summoned to give evidence in his official capacity shall draw his travelling allowance in the manner provided in rule 59 of the Financial handbook, Volume III, and shall be granted by the Court a certificate of attendance which shall be attached by him to the bill. No expenses shall be paid to such person by the court except when he is summoned to give evidence otherwise than in his offical capacity, when he will be entitled to the payment of expenses as in rule 1 to 3. Provided that if on the date of the evidence for which the witness has been summoned by the Criminal court and witness has attended the court for recording of his evidence and an application for adjournment of the recording of the evidence has been filed by any party, then in that case the expenses for the travelling and the diet money shall be borne by the party which moved the application for adjournment. In case the other party does not object to adjournment the cost will be borne equally by both the parties.

(Arvind Kumar)
Principal Secretary.

12/12/19

12/12/19

उत्तर प्रदेश शासन
गृह (पुलिस) अनुभाग–9
संख्या– 482 / छः–पु0–9–19–31(93) / 2003
लखनऊः दिनांक 13 फरवरी, 2019

अधिसूचना

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 की धारा 21 के साथ पठित दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 477 और भारत का संविधान के अनुच्छेद 227 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, उच्च न्यायालय इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व अनुमोदन से, सामान्य नियमावली (दाण्डिक), 1977 में निम्नलिखित संशोधन करता हैः–

1– परिशिष्ठ–झ के नियम 8(1) में संशोधन–उक्त नियमावली के नियम 38 के अध्याय–5 के परिशिष्ट–झ के नियम 8 (1) के विद्यमान उपबन्ध, निम्नानुसार संशोधित किये जायेंगेः–

विद्यमान नियम	संशोधित नियम
8–(1) यात्रा भत्ता और डाइट मनी के भुगतान के प्रयोगार्थ परिवादियों और साक्षियों, जो ऐसे न्यायालयों में उपस्थित होने के लिए विधितः बाध्य हैं, को निम्नवत वर्गीकृत करने के लिए आपराधिक न्यायालय प्राधिकृत हैंः– वर्ग– 1 उच्चतर श्रेणी के व्यक्ति वर्ग– 2 जमींदार, ट्रेडर, प्लीडर और तत्समान श्रेणी के व्यक्ति, तथा वर्ग– 3 कृषक मजदूर और मीनियल्स वर्ग के सम्बन्धित व्यक्ति	8–(1) यात्रा भत्ता और डाइट मनी के भुगतान के प्रयोजनार्थ दण्ड न्यायालय, परिवादियों और साक्षियों, जो ऐसे न्यायालयों में उपस्थित होने के लिए वैध रूप से बाध्य हैं, को निम्नानुसार श्रेणीकृत करने के लिए प्राधिकृत हैंः– श्रेणी–एक– प्रथम श्रेणी के रैंक के सरकारी पदाधिकारी / चिकित्सा व्यवसायी, बैलिस्टिक और फोरेन्सिक साइंस के विशेषज्ञ आदि। श्रेणी–दो अन्य समस्त व्यक्ति।

2– परिशिष्ट–झ के नियम 8(2) की सारिणी में संशोधन–उक्त नियमावली के नियम 38 के अध्याय 5 के परिशिष्ट–झ के विद्यमान नियम 8 (2) में निम्नानुसार संशोधन किया जायेगाः–

विद्यमान नियम	संशोधित नियम
(2) तीनों श्रेणियों के साक्षियों के लिए यात्रा भत्ता और डाइट मनी की दर निम्नलिखित सारणी के अनुसार होगीः–	(2) दोनों श्रेणियों के साक्षीगण के लिए यात्रा भत्ता और डाइटमनी की दरें वहीं होंगी जैसा कि नीचे सारिणी में दर्शायी गयी हैंः–

श्रेणी	रेल द्वारा	सड़क द्वारा	दैनिक डाइट मनी	श्रेणी	रेल द्वारा	सड़क द्वारा	दैनिक डाइट मनी
एक	प्रत्येक तरफ से प्रथम श्रेणी का एक	डाइट मनी के परे कोई यात्रा भत्ता सामान्यतः सड़क द्वारा यात्रा के लिए अनुज्ञेय नहीं है, किन्तु विशिष्ट परिस्थितियों में	द्वितीय श्रेणी की दर से ऊपर अधिकतम सीमा 4/– (चार) रूपये	एक	प्रत्येक तरफ से प्रथम श्रेणी / द्वितीय श्रेणी / वातानुकूलित रेल यात्री किराया	सड़क द्वारा यात्रा हेतु यात्री किराया न्यूनतम मार्ग रेल यात्री किराया से अधिक नहीं होना चाहिए।	रू0 100/– प्रतिदिन

(सत्यपाल बिन्द)
अनुभाग अधिकारी,
गृह (पुलिस) अनुभाग-9
उत्तर प्रदेश शासन।

		प्रथम श्रेणी साक्षी की स्थिति में पचास पैसे प्रति मील की अधिकतम सीमा तक उपगत वास्तविक व्यय और अन्य मामलों में सैंतीस पैसे प्रति मील की अनुज्ञा, न्यायालय द्वारा प्रदान किया जा सकता है।					
				दो	प्रत्येक तरफ से द्वितीय श्रेणी/ शयनयान श्रेणी रेल यात्री किराया	सड़क द्वारा यात्रा हेतु यात्री किराया न्यूनतम मार्ग रेल यात्री किराया से अधिक नहीं होना चाहिए।	रू0 50/- प्रतिदिन
दो	प्रत्येक तरफ से द्वितीय श्रेणी का एक	तदैव	रू0 1.25 (एक रूपया पच्चीस पैसे)				
तीन	प्रत्येक तरफ से तृतीय श्रेणी का एक	तदैव	रू0 1 (एक रूपया)				
				परन्तु यह कि श्रेणी-1 या श्रेणी-2 के परिवादी/साक्षी को केवल हकदार श्रेणी के रेल किराया का भुगतान करने की अनुमति दी जाएगी, यदि वह वास्तव में हकदार श्रेणी में यात्रा किया हो। यदि परिवादी/साक्षी निम्न श्रेणी में यात्रा करता है, तो वह यात्रा के श्रेणी के वास्तविक किराया का हकदार होगा। सड़क किराया के दावों के मामलों में श्रेणी-1 का परिवादी/साक्षी प्रत्येक तरफ से उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा संचालित एसी बस/डीलक्स बस के केवल एक किराए के लिए हकदार होगा यदि वह वास्तव में बस के हकदार श्रेणी में यात्रा किया हो। यदि परिवादी/साक्षी बस की निम्न श्रेणी में यात्रा करता है, तो वह वास्तविक किराया का हकदार होगा। द्वितीय श्रेणी का परिवादी/साक्षी प्रत्येक तरफ से उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा संचालित सामान्य बस के एक किराए का हकदार होगा।			

3- परिशिष्ट-झ के नियम 8(3) (ख) में संशोधन-उक्त नियमावली के अध्याय 5 में नियम 38 के परिशिष्ट-झ के नियम 8(3) में निम्नलिखित रूप में संशोधन किया जायेगा:-

विद्यमान नियम	संशोधित नियम
(3) (अ) वास्तविक निरोध और न्यायालय को या न्यायालय तक यात्रा में लगी अवधि के लिए डाइट मनी का भुगतान किया जायेगा। दिनों की संख्या, जो आने जाने की यात्रा हेतु प्रदान किये जाएं, प्रत्येक मामले में भुगतान का आदेश करने वाले अधिकारी द्वारा निर्धारित किया जायेगा।	(3) वास्तविक निरोध के दिनों के लिए और न्यायालय के लिए और वहाँ से यात्राओं में अधिभुक्त समय के लिए डाइटमनी का भुगतान किया जायेगा। दिनों की संख्या, जो आने-जाने की यात्रा हेतु अनुज्ञात किये जायें, का अवधारण प्रत्येक मामले में भुगतान का आदेश करने वाले अधिकारी द्वारा किया

(ब) प्रथम श्रेणी से सम्बन्धित तराई, भावर और काशीपुर परगना के साक्षियों को नैनीताल में साक्ष्य देने हेतु सम्मन किये जाने की दशा में डाइट मनी की दर एक रूपये और सैंतीस पैसे प्रति डाइट होगा और सामान्य श्रेणी के लिए एक रूपया प्रति डाइट होगा।	जायेगा।

4— परिशिष्ट—झ के नियम 8(5) में संशोधन— उक्त नियमावली के अध्याय 5 में नियम 38 के परिशिष्ट—झ का नियम 8 (5) निकाल दिया जायेगा।

5— परिशिष्ट—झ के नियम 8(7) में संशोधन— उक्त नियमावली के अध्याय 5 में नियम 38 के परिशिष्ट—झ का नियम 8(7) में निम्नलिखित रूप में संशोधन किया जायेगा:—

विद्यमान नियम	संशोधित नियम
(7) पूर्ववर्ती नियम में किसी बात के अन्तर्विष्ट होते हुए भी राज्य की सेवा में नियोजित कोई व्यक्ति, जो अपनी पदीय हैसियत में साक्ष्य देने के लिए सम्मन किया गया हो, वित्तीय हस्त पुस्तिका, भाग III के नियम 59 में उपबन्धित रीति से अपना यात्रा भत्ता आहरित करेगा और उसे न्यायालय द्वारा उपस्थिति प्रमाण—पत्र प्रदान किया जायेगा, जो उसके द्वारा बिल के साथ संलग्न किया जायेगा। ऐसे व्यक्ति को न्यायालय द्वारा कोई भी व्यय नहीं प्रदान किया जायेगा, सिवाए तब के जब कि उसे अपनी पदीय हैसियत से भिन्न हैसियत में साक्ष्य देने के लिए न बुलाया गया हो, जब वह नियम 1 से 3 के अन्तर्गत व्यय का भुगतान प्राप्त करने हेतु हकदार होगा।	(7) पूर्ववर्ती नियम में किसी बात के अन्तर्विष्ट होते हुए भी राज्य की सेवा में कोई व्यक्ति, जिसे अपनी पदीय हैसियत में साक्ष्य देने के लिए सम्मन किया गया हो, वित्तीय हस्त पुस्तिका, भाग—III के नियम 59 में उपबन्धित रीति से अपना यात्रा भत्ता आहरित करेगा और उसे न्यायालय द्वारा उपस्थिति प्रमाण—पत्र प्रदान किया जायेगा, जो उसके द्वारा देयक के साथ संलग्न किया जायेगा। ऐसे व्यक्ति को न्यायालय द्वारा कोई भी व्यय नहीं प्रदान किया जायेगा, सिवाए तब के जब कि उसे अपनी पदीय हैसियत से भिन्न हैसियत में साक्ष्य देने के लिए न बुलाया गया हो, जब वह नियम 1 से 3 के अन्तर्गत व्यय का भुगतान प्राप्त करने हेतु हकदार होगा। परन्तु यदि साक्ष्य के दिनांक को दण्ड न्यायालय द्वारा साक्षी को सम्मन किया गया हो और साक्षी अपने साक्ष्य को अभिलिखित किए जाने हेतु न्यायालय में उपस्थित हुआ हो और साक्ष्य अभिलेखन को स्थगित किए जाने हेतु किसी पक्षकार द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया हो, तो ऐसी दशा में यात्रा व्यय एवं डाइटमनी का वहन उस पक्षकार द्वारा किया जायेगा, जिसने स्थगन हेतु आवेदन किया गया हो। यदि अन्य पक्षकार स्थगन पर आपत्ति नहीं करता है तो लागत का वहन दोनों पक्षकरों द्वारा समान रूप से किया जायेगा।

(अरविन्द कुमार)
प्रमुख सचिव।

12/2/19